...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

रा. मु. 21/2022

1 उमाराम पुत्र भैराराम जाति जाट रेवाड़ निवासी ग्राम कालेरां की ढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू

2 सप्ताराम पुत्र भैराराम जाति जाट रेवाड़ निवासी कालेरां की ढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू

3 कन्हैयालाल पुत्र भैराराम जाति जाट रेवाड़ निवासी कालेरां की ढ़ाणी तह. बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1 रहीमबक्स पुत्र फूला जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 13, दो मस्जिद के पास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

2 उमरदीन पुत्र रहीमबक्स जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 13, दो मस्जिद के पास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

3 देदाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी कालेरां की ढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

4 श्रीमती हूसैनी पत्नी स्व नेक मोहम्मद जाति सिलावट भुट्टा निवासीनी गंगा माई मन्दिर के पास, वार्ड न. 22 बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

5 फारूक पुत्र स्व. नेक मोहम्मद जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 15, करणी खेजड़ा के पास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

6 जावेद पुत्र स्व. नेक मोहम्मद जाति सिलावट भुट्टा निवासी गंगा माई मन्दिर के पास, वार्ड न. 22 बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

7 आरीफ पुत्र स्व. नेक मोहम्मद जाति सिलावट भुट्टा निवासी गंगा माई मन्दिर के पास, वार्ड न. 22 बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

8 परवीना पुत्री स्व. नेक मोहम्मद जाति सिलावट भुट्टा निवासीनी गंगा माई मन्दिर के पास, वार्ड न. 22 बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

9 सकिना पुत्री स्व. नेक मोहम्मद जाति सिलावट भुट्टा निवासी गंगा माई मन्दिर के पास, वार्ड न. 22 बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

10 अमीना पुत्री स्व. नेक मोहम्मद जाति सिलावट भुट्टा निवासीनी गंगा माई मन्दिर के पास, वार्ड न. 22 बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

11 जैनब पत्नी रजाक जाति सिलावट भुट्टा निवासीनी वार्ड न. 12, दो मस्जिद के पास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

12 रफीक पुत्र रजाक जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 15, करणीजी खेजड़ा के पास बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

13 यासीन पुत्र रजाक जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 12, दो मस्जिद के पास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

14 इसराईल पुत्र रजाक जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 12, दो मस्जिद के पास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

15 सोना पुत्री रजाक जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 12, दो मस्जिद के पास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू हाल पत्नी मो. आसिफ मुगल वार्ड न. 28, पुराना पावर हाउस के पीछे, दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

16 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू

17 शाखा प्रबन्धक, बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा दड़ीबा बीदासर तह. बीदासर चूरू

18 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर तहसील कार्यालय बीदासर चूरू (राज.)

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955''

उपस्थित :-

1 वादीगण – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 ता 3 मो. आमीन शेख एडवोकेट
3 प्रतिवादी – पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक :- 30/11/2022

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम कालेरां की ढ़ाणी में खेत खसरा नम्बर 226 रकबा 5.3494 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 227 रकबा 7.0188 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.5312 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 294 रकबा 5.0586 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 17.9580 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उपरोक्त विवादित खसरा नम्बरान् के साबिका खसरा नम्बर 349 रकबा 42 बीघा 3 बिश्वा के तत्समय के खातेदार एवं प्रतिवादी सख्या 4 ता 15 के पूर्वज नबीबक्स व इब्राहीम पुत्रगण सुभान ने अपना जुबानी भाईबन्ट के मुताबिक हिस्सा पांती जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 17/01/1968 के द्वारा श्रीमती जैतून धर्मपत्नी लाल मोहम्मद जाति सिलावट भुट्टा निवासी बीदासर को फरोख्त कर दिया था तथा श्रीमती जैतून पत्नी लालमोहम्मद ने उक्त खरीद शुदा भूमि जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 12/08/1968 के द्वारा वादीगण के पिता भैराराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी कालेरां की ढ़ाणी को विकय कर दी थी उपरोक्त विवादित खसराजात में स्व. नबीबक्स द्वारा अपनी सम्पूर्ण हिस्सा भूमि विकय करने के उपरान्त स्व. नबीबक्स की सम्पूर्ण हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण के पिता भैराराम का बदस्तूर बिना किसी उजरदारी के चलता रहा है वादीगण के पिता ने स्व. नबीबक्स के हिस्सा पांती की उपरोक्त विवादित खसराजात में खरीद शुदा सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को जरिये पंजीकृत दान पत्र दिनांकित 09/11/2021 के आधार पर वादीगण के नाम दर्ज करवा दिया है तब से वादगत खसराजात में स्व. नबीबक्स के हिस्सा पांती की सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है वादीगण के पिता भैराराम को विकय करने वाले नबीबक्स, इब्राहीम तथा अन्य सहखातेदारान् के मध्य विवादित खसरा नम्बरों की भूमि किसी प्रकार का कानूनी विभाजन नहीं हुआ, केवल मात्र जुबानी भाई बन्ट के हिसाब से उपरोक्त विवादित हिस्सा भूमि एक दुसरी जगह हस्तान्तरण होती रही तथा कब्जा काश्त स्व. नबीबक्स व इब्राहीम के सम्पूर्ण हिस्सा पर श्रीमती जैतून तथा उनके बाद भैराराम पुत्र जेसाराम का एवं आज दिन वादीगण का चला आ रहा है, वैधानिक रूप से विभाजन होकर खातेदारी दर्ज नहीं होने के कारण वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिना किसी कब्जा काश्त के प्रतिवादी सख्या 4 ता 15 के पूर्वजों का नाम

लगातार.......3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

लत दर्ज चला आ रहा है प्रतिवादी सख्या 4 ता 15 का विवादित खसराजात की भूमि में कभी कोई हित कब्जा या अधिकार नहीं रहा है केवल मात्र गलत खातेदारी के कारण उपरोक्त प्रतिवादी सख्या 4 ता 15 के पूर्वजों के नाम केवल मात्र 1–03 03 बीघा की खातेदारी दर्ज है जिस पर कभी प्रतिवादीगण सख्या 4 ता 15 का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही उक्त हिस्सा भूमि का पृथक कोई वजूद है। प्रतिवादीगण के पूर्वजो द्वारा विक्रय करने के उपरान्त उनके जीवनकाल से ही वादीगण के पिता भैराराम का कब्जा काश्त रहा जो अब वादीगण के कब्जा काश्त में है। प्रतिवादी स. 4 ता 15 के पूवजो का नाम गलत और निराधार चला आ रहा है जिसको दुरूस्त करवाना वादीगण का वैधानिक अधिकार है वादीगण ने प्रतिवादी सख्या 4 ता 15 को कई बार निवेदन किया की आपका नाम वादगत खसरा नम्बरान् की खातेदारी में गलत दर्ज चला आ रहा है प्रतिवादीगण 4 ता 15 को पूर्ण विदित है कि उनके पूर्वज नबीबक्स द्वारा अपने हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि अपने जीवनकाल में ही विक्रय की जा जाकर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है लेकिन राजस्व कर्मचारीयों की गलती से प्रतिवादी स. 4 ता 15 के पूर्वजों का नाम गलत दर्ज चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 ता 3 की अपने अपने हिस्सा भूमि की पुख्ता पक्की सीवं कायम है। मौके पर विभाजन कर अपने अपने हिस्सा को काश्त कर रहे है प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है जो गलत खातेदारी के आधार पर अपने पूर्वजों के नाम गलत दर्ज चल रही खातेदारी में विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवा कर उपरोक्त गलत खातेदारी पर राजकीय लाभांश प्राप्त करने, राजकीय अनुदान प्राप्त करने एवं ऋण आदि लेने की फिराक में है भू–माफिया लोगो से साठगांठ कर गलत खातेदारी के आधार पर दर्ज भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने की कुचेष्टा में है वादीगण ने अन्तिम बार दिनांक 4/3/2022 को उपरोक्त खातेदारी में गलत दर्ज चले आ रहे रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो उक्त प्रतिवादी सख्या 4 ता 15 ने खातेदारी रेकार्ड दुरूस्त करवाने से साफ मना कर दिया और ऐलानिया धमकी दी की हमारे पिता आदि के नाम जो गलत खातेदारी दर्ज चली आ रही है उस पर हम लोन उठा लेगे, उसको किसी भू–माफिया लोगों को बेच देगे तुम्हारी इस जमीन पर नाजायज कब्जा करेगे आदि आदि धमकीया दी। इस कारण वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का हैतूक प्राप्त हुआ है आदि आदि दावा प्रस्तुत किया।

उपरोक्त दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई कि " कि वादगत खेत खसरा नम्बर 226 रकबा 5.3494 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 227 रकबा 7.0188 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.5312 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 294 रकबा 5.0586 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 17.9580 हैक्टेयर वाके रोही कालेरां की ढ़ाणी की खातेदारी में प्रतिवादी सख्या 4 ता 15 के पूर्वज नेक, निजमा, फता, रजाक का नाम हटाया जाकर इनकी

लगातार.....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीकासर

हिस्सा भूमि की घोषणा वादीगण के नाम फरमाई जावे, वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 का मुताबिक कब्जा काश्त एवं हिस्सा पांती अनुसार विभाजन किया जाये तथा इस बाबत आदेश प्रतिवादी सख्या 18 तहसीलदार को फरमाया जावे, प्रतिवादीगण 4 ता 15 को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जावें कि वादगत खेत हिस्सा का विक्रय बन्धक हस्तान्तरण नहीं किया जावें तथा प्रतिवादीगण सख्या 4 ता 15 वादगत खसराजात में प्रवेश नहीं करें तथा वादीगण को अपने हिस्सा में प्रवेश करने, काश्त करने से रौके नहीं ना ही ऐसा कोई कृत्य या फैल करें जिससे वादीगण के वैध अधिकारों पर किसी प्रकार से विपरीत असर पडें, खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की और से इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादी स. 18 सरकार की औरसे पैरोकार राज ने उपस्थित होकर राजहित नहीं होने का अंकन किया। प्रतिवादी सख्या 4 ता 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उपरोक्त वाद में किसी भी पक्ष द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी करते हूए जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी स. 16, 17 बैंक पक्षकार है जिन्होने भी बावजूद रजिस्ट्रर्ड तामील के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है। साक्ष्य वादी में वादी उमाराम व सप्ताराम ने अपने नोटेरी से तस्दीक शुदा सशपथ बयान प्रस्तुत कर वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खेत खाता नम्बर 206 प्रदर्श–1, नक्शा एक्स खेत खसरा नम्बर 226, 294, 227, 293 प्रदर्श–2, विक्रय पत्र दिनांक 17/01/1968 प्रदर्श–3, विक्रय पत्र दिनांक 9/8/1996 प्रदर्श–4 व विक्रय पत्र दिनांक 2/3/1987 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से वाद को नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। लिहाजा दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है जिसको डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

आदेश

लिहाजा उपरोक्त वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके रोही ग्राम कालेरां की ढ़ाणी में खेत खसरा नम्बर 226 रकबा 5.3494 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 227 रकबा 7.0188 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.5312 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 294 रकबा 5.0586 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 17.9580 हैक्टेयर से प्रतिवादी सख्या 4 ता 15 का नाम हटाया जाकर प्रति. स. 4 ता 15 की हिस्सा भूमि वादी 1 ता 3 के नाम ब. हि. बराबर दर्ज की जाये तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 15 के विरूद्ध चिर निशेधाज्ञा का आदेश दिया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बीदासर को डिक्री की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 30–11–2022 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

श्योराम वर्मा
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner